दैनिक जागरण

दान देने से आज तक कोई गरीब नहीं हुआ

एनपीआर की तैयारी

केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर तैयार करने का फैसला करके उसी काम को ही आगे बढ़ाया है जिसे मनमोहन सरकार ने 2010 में किया था। यह भी ध्यान रहे कि इस काम की नींव तभी पड़ गई थी जब 2004 में मनमोहन सरकार ने ही नागरिकता कानून में संशोधन कर एनपीआर तैयार करने संबंधी प्रावधान जोड़ा था। इन तथ्यों के बाद राजनीतिक रोटियां सेंकते विपक्षी दलों के साथ-साथ आम जनता के समक्ष भी यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मोदी सरकार कोई नया काम करने नहीं जा रही है। यह समझा जाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि एनपीआर तैयार करने की घोषणा होते ही यह दुष्प्रचार शुरू हो गया है कि यह तो पिछले दरवाजे से एनआरसी यानी नागरिकता रजिस्टर तैयार करने की कोशिश हो रही है। दुष्प्रचार के इस दौर में यह भी समझने की जरूरत है कि एनआरसी तैयार करना भी कोई गैर जरूरी या फिर गैर कानूनी काम नहीं। दुनिया के हर जिम्मेदार देश ने यह काम किया है। इनमें से कुछ वे भी हैं जो भारत से कहीं पीछे हैं। समझना कठिन है कि नागरिकों का रजिस्टर तैयार करने में हर्ज क्या है? सवाल यह भी है कि आखिर कुछ लोग इस फालतू बात पर इतनी आसानी से यकीन कैसे कर ले रहे हैं कि एनआरसी तैयार करने का मकसद समुदाय विशेष को तंग करना है? आखिर जो काम पहले भी हो चुका है उसे लेकर हल्ला मचाने का क्या मतलब?

चूंकि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर लोगों को गुमराह करने का काम अभी भी चालू है इसलिए इसकी प्रबल आशंका है कि एनपीआर को लेकर भी ऐसा ही किया जाएगा। सरकार को इसकी काट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि एनपीआर तैयार करने का कैबिनेट का फैसला आते ही गृहमंत्री अमित शाह ने उन कई सवालों के जवाब दिए जो उठने शुरू हो गए थे, लेकिन बेहतर होगा कि सरकार आगे भी यह सिलसिला कायम रखे ताकि विपक्षी दल अपने दुष्प्रचार से लोगों को भ्रमित न करने पाएं। यह सतर्कता बरतनी इसलिए और आवश्यक है, क्योंकि कई राज्य सरकारें एनपीआर से पीछे हटने का शोर मचा सकती हैं। यह संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए जनता के हितों से खिलवाड़ करने वाली राजनीति के अलावा और कुछ नहीं होगा। सच तो यह है कि यह गरीब विरोधी राजनीति होगी, क्योंकि यदि एनपीआर सही तरह तैयार नहीं होता तो इससे सबसे अधिक नुकसान निर्धन तबके का ही होगा। जो राजनीतिक दल पहले से ही नागरिकता कानून, एनआरसी और अब एनपीआर पर लोगों को भड़का रहे हैं वे यह समझें तो बेहतर कि राजनीतिक क्षुद्रता की भी एक सीमा होती है।

राज्यपाल का विरोध

ऐसा लग रहा है कि बंगाल के विश्वविद्यालय और खासकर जादवपुर यूनिवर्सिटी (जेयू) राजनीति का अखाड़ा बन गया है। अक्सर ही जेयू कभी प्रबंधन व छात्रों के बीच विवाद तो कभी नारे व अन्य गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में रहता है। यहां ऐसा लगने लगा है कि पढ़ाई से अधिक छात्र-छात्राएं सियासी गतिविधियां व झंडा उठाने के साथ-साथ नारे बुलंद करने में लगे हैं। इस समय जेयू में जो हो रहा है उसको उचित नहीं कहा जा सकता। क्या बिना कुलाधिपति के किसी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हो सकता है? परंतु ऐसा हुआ है। वह भी छात्रों के विरोध की वजह से बंगाल के राज्यपाल व कुलाधिपति जगदीप धनखड़ को एक बार फिर जेयू से लौटना पड़ा। मंगलवार सुबह जब वह जादवपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस पहुंचे तो प्रदर्शनकारी छात्रों ने उनके काफिले को रोक लिया। इस दौरान हंगामे की वजह से अफरातफरी मची रही। गवर्नर का विरोध कर रहे छात्रों ने उन्हें कार से उतरने तक नहीं दिया। सुरक्षा बलों ने किसी तरह छात्रों को हटाने की कोशिश की। आज ही यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह प्रस्तावित था जिसमें उन्हें भाग लेना था। क्या सिर्फ इसीलिए कुलाधिपति व राज्यपाल का विरोध हो सकता है कि वह संसद व राष्ट्रपति द्वारा पारित कानून का समर्थन कर रहे हैं? कुलाधिपति होने के साथ-साथ बंगाल के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते धनखड़ को हर विश्वविद्यालय में जाने का अधिकार है। जो छात्र उन्हें काला झंडा दिखा रहे थे और गो बैक के नारे लगा कर हंगामा बरपा रहे थे क्या यह उनका सही कदम है? छात्रों के इस कदम से विश्वविद्यालय का नाम रोशन नहीं हो रहा है, बल्कि बदनामी हो रही है। अगर छात्रों की कोई मांग है और उन्हें कुछ कहना है तो शांतिपूर्वक बिना किसी नारेबाजी व हंगामे के राज्यपाल तक बात पहुंचा सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। इससे पहले सोमवार को भी राज्यपाल से जेयू में छात्रों ने दो बार धक्का-मुक्की करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए थे। राज्यपाल धनखड़ ने अपने साथ हुए बर्ताव की कड़ी आलोचना करते हुए सीएम ममता बनर्जी पर इशारों में वार किया। उन्होंने कहा, एक चांसलर और गवर्नर के रूप में मेरे लिए यह बहुत दर्दनाक समय है। हमारे छात्र कन्वोकेशन में डिग्री पाने का इंतजार कर रहे हैं। वह उनके कठिन परिश्रम का फल है। प्रबंधन को चाहिए कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे और छात्रों के साथ बैठकर ऐसी हालत फिर न बने यह सुनिश्चित करना चाहिए।

क्या बिना कुलाधिपति के किसी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हो सकता है? परंतु, ऐसा हुआ है

विभाजन की गलतियां सुधारने की कोशिश

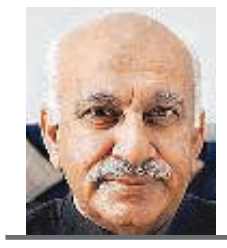

एमजे अकबर

पाकिस्तान भले ही अल्पसंख्यकों के बिना पूरा हो जाए, लेकिन भारत अपने सभी मुस्लिम नागरिकों के साथ ही भारत रह पाएगा

कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है। ऊपरी तौर पर घाव और उनके निशान भले ही भर जाएं, लेकिन उनकी पीड़ा गहरी पैठ बनाए होती है। खासतौर से तब जब उन जख्मों से जुड़ी यातनाएं कई पीढ़ियों ने झेली हों। भारत का विभाजन एक ऐसा ही पड़ाव था। भारतीय इतिहास में विभाजन जैसी त्रासदी की मिसाल शायद मुश्किल से ही मिले। भारतीय सभ्यता पर इस क्रूर आघात के खिलाफ नैतिक एवं राजनीतिक तर्कों के अलावा एक व्यावहारिक दलील यह भी दी जा सकती है कि विभाजन के लिए कोई स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र नहीं था। देश के लगभग प्रत्येक गांव, कस्बे और शहर में आबादी बहुत घुली-मिली हुई थी। खासतौर से पंजाब और बंगाल जैसे उन राज्यों में तो यह मिश्रण बहुत ज्यादा था जिनकी पाकिस्तान की आबादी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी थी।

वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। इसके अनुसार पंजाब में आधी और बंगाल में 40 प्रतिशत सीटें मुस्लिम लीग को देना तय हुआ। उनको मिली यह हिस्सेदारी उनकी वास्तविक संख्या से कहीं अधिक थी। आबादी में यह अनुपात तब भी बहुत ज्यादा नहीं बदला जब आस्था से अधिक राजनीतिक मंशा के साथ मुस्लिम नेता बने मुहम्मद अली जिन्ना ने वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के साथ मिलकर एकता के ढांचे के खिलाफ विषवमन शुरू कर दिया। 1946 के चुनावों में यह एक बार फिर तब सिद्ध हुआ जब मुस्लिम सीटों के इतने बड़े पैमाने पर आवंटन के बावजूद मुस्लिम लीग को बंगाल और पंजाब में कहीं भी बहुमत नहीं मिला। बहरहाल ऐसे कोई आंकड़े नहीं थे जो बता सकें कि लोग जहां रहते हैं वहां बस्तियों में उनकी बसाहट कैसी थी? वास्तव में विभिन्न मतों के लोगों का शांतिपूर्ण सहजीवन भारतीय मूल्यों से जनित सौहार्द का जीवंत प्रमाण था। तब समय-समय पर लोग विभाजन को लेकर चेता रहे थे। इनमें पंजाब के अंग्रेज गवर्नर ग्लेंसी भी शामिल थे। उन्होंने बार-बार चेतावनी दी कि विभाजन रक्तपात से कुप्रेरित अवधारणा है जो गृहयुद्ध को आमंत्रण है, मगर जिन्ना तो गृहयुद्ध चाहते ही थे। खासतौर से 16 अगस्त, 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में जिहाद शुरू करके उन्होंने तेवर साफ कर दिए। उनकी इस घोषणा से कलकत्ता में वीभत्स हत्याओं का भयावह मंजर पैदा हो गया। इस ज्वालामुखी से निकले लावे ने जल्द ही नोआखली और बिहार को भी जद में ले लिया। हजारों लोग मारे गए। जनवरी 1947 में मुस्लिम लीग ने पंजाब में आगजनी शुरू की। इसका मकसद संघीय सरकार को नुकसान पहुंचाना था जो एक दशक से साबित कर रही थी कि पंजाब और भारत का शासन सहमति के साथ भी चलाया जा सकता है।

भारत में अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जब दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तो वहां के हालात सुनकर वह सिहर उठे। दस्तावेजों में दर्ज ब्योरे में जो वर्णन है उससे किसी का भी मानवता में विश्वास हिल सकता है। गांधी जी ने अगस्त 1947 के पहले हफ्ते में पंजाब का दौरा किया। उनका हृदय द्रवित हो उठा। उनके मुख से बरबस निकला, 'इतनी बर्बरता', 'इतनी पाशविकता।' गांधी जी को अपनी सहयोगी डॉ. सुशीला नैयर को एक शरणार्थी शिविर में रखना पड़ा ताकि भारत में शरणार्थियों के प्रवेश तक उन पर कोई हमला न हो। यही गांधीवादी तरीका है।

अवधेश राजपूत

विभाजन के पीड़ितों के लिए केवल भारत ही स्वाभाविक शरणगाह था। पाकिस्तान निर्माण की मुहिम से जुड़कर अपने सपनों के देश में कूच करने वाले तमाम भारतीय मुसलमानों का जल्द ही उससे मोहभंग हो गया, लेकिन वह एक अलग कहानी है। अकाट्य सत्य यही है कि भारी तादाद में भारतीय मुसलमान अपनी मातृभूमि में ही रह गए। ऐसे तल्ख माहौल में भारत और पाकिस्तान ने अपने-अपने देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए छह दिन की वार्ता के पश्चात 8 अप्रैल, 1950 को एक समझौता किया। इसे नेहरू-लियाकत समझौते का नाम दिया गया। इसका क्या हासिल हुआ वह इसके अगले कुछ दशकों के हैरतअंगेज आंकड़ों से मालूम पड़ सकता है। इस दौरान पाक में अल्पसंख्यकों की आबादी 25 प्रतिशत से घटकर महज दो प्रतिशत रह गई जबकि भारत में मुस्लिम आबादी की संख्या बढ़ती गई। यही एक लोकतंत्र और धर्मांध देश में अंतर है।

ऐसा नहीं था कि विभाजन के सूत्रधारों को इसके विरोधाभासों या दुष्परिणामों का अंदाजा नहीं था। असल में वे संवेदनहीन बने हुए थे। जिन्ना के साथ अपनी वकालत की शुरुआत करने वाले एमसी छागला, जो बाद में इंदिरा गांधी सरकार में विदेश मंत्री भी बने, ने अपनी आत्मकथा 'रोजेज इन दिसंबर' में लिखा कि एक बार उन्होंने जिन्ना से पूछा कि अगर पाकिस्तान बना तो उत्तर प्रदेश और बिहार के भारतीय मुस्लिमों का क्या होगा? इस पर जिन्ना ने जवाब दिया कि उन्हें इसकी परवाह नहीं।

वास्तव में जिन्ना को परवाह तो बंगालियों की भी नहीं थी। पूर्वी पाकिस्तान के अपने इकलौते दौरे पर ढाका में उन्होंने दो-टूक कहा कि उन्हें बंगाली भूलकर उर्दू को अपनी मातृभाषा बनाना होगा। शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने संघर्ष छेड़कर 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान के धर्मांध ठप्पे को छुड़ाने वाली भाषिक परंपराओं के साथ अपने देश की नए सिरे से नींव डाली। हालांकि 1975 में शेख मुजीब की त्रासदपूर्ण हत्या से इस प्रक्रिया में कुछ गतिरोध आया, लेकिन सकारात्मक सामाजिक शक्तियों ने उसे पलट दिया। उनकी बेटी शेख हसीना ने अपने पिता की विरासत को और समृद्ध किया।

विभाजन बहुत नृशंस कवायद थी और किसी शरणार्थी से बेहतर इसे और कौन समझ सकता है? डॉ. मनमोहन सिंह भी ऐसे ही एक शरणार्थी रहे। यही कारण है कि उन्होंने 2003 में राज्यसभा में शरणार्थियों के लिए नागरिकता का मुद्दा उठाया। संयोग देखिए कि तब गृहमंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी भी शरणार्थी रहे थे। नियति और भाग्य ने मनमोहन सिंह को 2004 में देश का प्रधानमंत्री बनाया जिस पद पर वह दस साल तक काबिज रहे। इस दौरान उन्होंने उस मांग को पूरा करने की दिशा में कोई पहल नहीं कि जिसे कभी उन्होंने ही उठाया था, लेकिन उनके बाद की सरकार ने अवश्य इस दिशा में कुछ किया।

हंगामे के इस दौर में जब अफवाहें और गुमराह करने वाली राजनीति की जा रही है तब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि इससे किसी भी धर्म या वर्ग के भारतीय नागरिक का कोई अधिकार नहीं छिनने जा रहा। यह सिर्फ विभाजन के समय की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए उठाया गया कदम है। इससे फिलहाल और भविष्य में भी किसी भारतीय मुसलमान के किसी अधिकार पर कोई आघात नहीं होगा। हमें यह याद रखना होगा कि पाकिस्तान भले ही अल्पसंख्यकों के बिना रह ले, लेकिन भारत अपने सभी भारतीय मुस्लिम नागरिकों के साथ ही भारत रह पाएगा।

(लेखक राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

असहमत नागरिकों का आचरण

राजीव सचान

असहमत नागरिकों के अतार्किक आचरण पर हैरानी नहीं, क्योंकि विवेक तब भी मर जाता है जब उन्माद की अति हो जाए

नागरिकता संशोधन कानून और प्रस्तावित नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी के विरोध के नाम पर उपजा उन्माद कुछ शांत होता तो दिख रहा है, लेकिन दुष्प्रचार का सिलसिला अभी भी कायम है। इसका कारण केवल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सरीखे दलों की यह रट नहीं है कि नागरिकता कानून संविधान विरोधी है और एनआरसी का असल मकसद मुसलमानों को परेशान करना एवं उन्हें घुसपैठिया करार देना है, बल्कि कुछ इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल अन्य अनेक लोगों की ओर से किया जाना भी है। जो यह सब प्रचारित कर रहे थे या अभी भी कर रहे हैं वे संवैधानिक या कानूनी मसलों की सही-सटीक समझ न रखने वाले कोई आम नागरिक या फिर अनपढ़ लोग नहीं। वे तो अपने-अपने क्षेत्र के जाने-माने लोग यानी विशिष्ट नागरिक हैं। इनमें कई सेलेब्रिटी और बुद्धिजीवी कहे-बताए जाने वाले तो हैं ही, मीडिया के जाने-पहचाने चेहरे भी हैं। ये सब नागरिकता संशोधन विधेयक के कानून बन जाने पर सरकार एवं संसद के फैसले से असहमत भी हैं और आगबबूला भी-इस कदर कि उन करीब 60 याचिकाओं की सुनवाई का इंतजार करने को भी तैयार नहीं जो इस कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। वे संविधान की शपथ भी ले रहे हैं और सड़क पर निकलकर संसद से पारित कानून को खारिज किए जाने की जिद भी कर रहे हैं।

इस दुष्प्रचार अभियान में आतंकी को हेडमास्टर का बेटा समझने वाले लोग, 90 प्रतिशत भारतीयों को मूर्ख समझने वाले जज, अपने शो के लिए पहचान पत्र की अनिवार्यता तय करने और फिर भी कागज नहीं दिखाएंगे का स्वांग रचने वाले कलाकार, धारा 144 को आपातकाल का साफ संकेत समझने वाले फिल्मकार और वंदे मातरम पर बिदकने, किंतु ताज उछाले जाएंगे को आदर्श तराना समझने वाले विद्वान भी हैं। इनकी कोशिश केवल इतनी ही नहीं कि जो चुपचाप हैं वे भी सड़कों पर निकलें, ये तो उन सबको भाजपाई-संघी अथवा डरपोक होने का प्रमाण पत्र भी जारी कर रहे जो उनकी हां में हां नहीं मिला रहे या फिर इस नतीजे पर नहीं पहुंच रहे कि भारत अब बस हिंदू राष्ट्र बनने ही वाला है। ये विशिष्ट नागरिक फर्जी सूचनाओं का सहारा लेने के साथ यह भी बताने में जुटे हैं कि विरोध प्रदर्शन के दौरान जहां-जहां आगजनी और तोड़फोड़ भरी हिंसा हुई वह वास्तव में पुलिस या सरकार अथवा उसके एजेंटों ने उन्हें बदनाम करने के लिए की। इनकी मानें तो

दिल्ली, अहमदाबाद के साथ उत्तर प्रदेश एवं बिहार के कई शहरों में पुलिस ने ही पुलिस पर पत्थर बरसाए, पेट्रोल बम फेंके और मौका पाकर सरकारी और गैर सरकारी गाड़ियों को आग लगाने का काम भी किया।

असहमत नागरिकों के अतार्किक आचरण पर हैरानी नहीं, क्योंकि विवेक तब भी मर जाता है जब उन्माद जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। इसी उन्माद के कारण यह सिद्ध करने की कोशिश की गई कि अव्वल तो देश में कहीं कोई हिंसा नहीं हो रही और यदि कहीं हो भी रही तो उसका हमारे स्वघोषित अहिंसावादी प्रदर्शनकारियों से कोई लेना-देना देना नहीं। रेलवे की 90 करोड़ की संपत्ति नष्ट हो गई, दर्जनों वाहन जला दिए गए और सैकड़ों पुलिसकर्मी जख्मी किए गए और फिर भी रट यही कि हमारा विरोध प्रदर्शन तो गांधी-आंबेडकर के हिसाब से चल रहा है। शांति का छद्म पाठ करने की ऐसी सनक सवार है कि उत्तेजक नारों की भी अनदेखी की जा रही।

इससे इन्कार नहीं कि हिंसा के विरोध के बहाने कुछ भाजपा नेताओं ने प्रदर्शनकारियों पर बेतुकी और उत्तेजक टिप्पणियां कीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि देश खुली हिंसा को देखकर भी अनदेखा कर दे। विशिष्ट जन यही चाह रहे। वे यह समझने को तैयार नहीं कि आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाएं देश की बदनामी करा रहीं, क्योंकि दुनिया देख रही कि भारत में जगह-जगह गांधी के पोस्टर भी लहराए जा रहे और जमकर पत्थरबाजी-आगजनी भी की जा रही। शांतिपूर्ण विरोध की आड़ में पागलपन भरी हिंसा से भी शर्मनाक था उन लोगों की ओर से उसकी अनदेखी जो संविधान की दुहाई देने में लगे हुए थे। यह और कुछ नहीं देश की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ही थी। सरकार को केवल यही नहीं सुनिश्चित करना होगा कि अराजकता फैलाने वाले दंड के भागीदार बनें, यह भी देखना होगा कि आखिर लोगों को भड़काने का काम किसने किया? उसे पुलिस सुधार पर भी अनिवार्य रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ जगह पुलिस की अनावश्यक सख्ती की शिकायतें आईं तो कई जगह वह अराजक तत्वों के समक्ष संसाधनहीन और असहाय सी दिखी। सरकार और खासकर मोदी सरकार को यह भी समझना होगा कि एनआरसी को लेकर इतनी अस्पष्टता क्यों उपजी कि उसका फायदा विरोध की आड़ में अराजकता फैलाने वालों ने उठा लिया?

निःसंदेह एनआरसी ने भ्रम पैदा किया, लेकिन आखिर भ्रम निवारण का काम समय रहते क्यों नहीं किया गया और वह भी तब जब यह साफ दिख रहा था कि लोगों को भ्रमित ही नहीं, भयभीत करने का सुनियोजित अभियान छिड़ा है? नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध के नाम मुस्लिम समाज के लोगों को खास तौर पर सड़कों पर उतारने वाले अपने सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान की सफलता पर खुश हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने इस समाज की बड़ी ही कुसेवा की है। मुस्लिम समाज को यह आभास हो तो बेहतर कि अपने शातिर एजेंडे को पूरा करने के लिए उसे सड़क पर उतारने वालों ने उसे बदनाम करने का ही काम किया। क्या वह मिसाल फीकी नहीं पड़ी जो अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम समाज ने शांति और संयम का परिचय देकर कायम की थी? यदि कोई तथाकथित मुस्लिम हितैषी सपने में भी यह सोच रहा है कि आज के इस युग में कोई देश अपने यहां के करोड़ों नागरिकों को गैर-नागरिक घोषित कर सकता है तो वह या तो चीन में रह रहा है या फिर अंध विरोध से इस कदर ग्रस्त हो गया है कि अपनी तर्कशक्ति पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं। ऐसे लोग किसी का भला नहीं कर सकते-न अपना और न ही उनका जिनके हितैषी बनने का दम भर रहे हैं।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आनंद के रास्ते

इस धरती पर कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो अपने ईश्वर से यह मांगता हो कि हमें अपार कष्ट दे दीजिए, शरीर रोगग्रस्त हो, धन की कमी हो और हमें सुकून की नींद न मिले, बल्कि हर व्यक्ति अपने इष्टदेव से आनंद और उत्तम जीवन ही मांगता है। जो खुद को नास्तिक कहते हैं तथा ईश्वरीय शक्ति को नकारते हैं, वे भी अंतर्मन से परमानंद की सत्ता को स्वीकार कर आनंद ही चाहते हैं। ऐसी कामना के बावजूद अधिकांश लोग यत्र-तत्र दुखी होने का रोना रोते दिख जाते हैं। दरअसल आनंद के कई रास्ते हैं। व्यक्ति पंचमुखी चौराहे पर खड़ा होकर यदि सभी रास्तों की जानकारी नहीं करेगा तो वह एक ही रास्ते पर चलता रहेगा। ये पंचमुखी रास्ते हैं पंच ज्ञानेंद्रियां। अब कोई व्यक्ति केवल स्वाद के लिए जिएगा तो संसार के अद्भुत दृश्य, श्रवण, गंध और स्पर्श से वंचित हो जाएगा। सभी ज्ञानेंद्रियों से आह्लाद व्यक्ति ले तो वह एकांगी नहीं होगा। व्यक्ति को श्रवण के लिए सत्संग में प्रवचन, संगीत, मंत्रों के पाठ को सुनना चाहिए। इससे भी मन को सुकून मिलता है। दृश्य के लिए प्रकृति को भरपूर देखना चाहिए।

सूर्योदय के वक्त प्रकृति अपना अद्भुत शृंगार इसीलिए करती है कि लोग इससे लाभान्वित हों। गंध-सुगंध के लिए पेड़-पौधों के आसपास कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। स्पर्श सुख के तहत माता-पिता, गुरुजनों के चरण-स्पर्श, छोटे बच्चों को गोद लेने तथा खेलने से भी ऊर्जा मिलती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण जब हो रहा था तो उसके संस्थापक पं. मदनमोहन मालवीय रात में जाकर मजदूरों द्वारा बनाई गई दीवारों को पुत्रवत स्पर्श कर आह्लादित होते थे। इन सभी उपायों से वैविध्यपूर्ण शरीर में आनंद के रसायनों का जो निर्माण होगा, वह व्यक्ति को दुखी नहीं होने देगा। वर्तमान भौतिक दौर में व्यक्ति सिर्फ भौतिक समृद्धि के लिए यदि उतावला रहेगा तो उसका जीवन एक ही रस पाएगा जो आगे चलकर नीरसता उत्पन्न करेगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त पंचज्ञानेंद्रियों का हमेशा सदुपयोग करे।

सलिल पांडेय

भरोसा बढ़ाने वाला फैसला

डॉ. मोनिका शर्मा

उन्नाव केस में आया फैसला समाज के हर परिवार को अपराध के खिलाफ लड़ने और डटे रहने की हिम्मत देने वाला है

कुटिल साजिशों, भयावह दुर्घटनाओं, अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या तक के मामले वाले उन्नाव केस में दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को न्यायालय ने उम्रकैद और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि सेंगर एक जनप्रतिनिधि था, मगर उसने लोगों का विश्वास तोड़ा। गौरतलब है कि 2017 में कुलदीप और उसके साथियों ने उन्नाव में नाबालिग लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। बाद में जेल में रहते हुए भी पीड़िता एवं उसके परिजनों को प्रताड़ित किया। 2019 में पीड़िता के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क हादसा हुआ। उसमें उसकी मौसी और चाची की मौत हो गई। लड़की के पिता की हिरासत में मौत का तकलीफदेह मामला सामने आया। फिर उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके परिवार के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करा दिए गए। यहां तक कि देश के प्रधान न्यायाधीश को भी उसका लिखा पत्र देरी से मिला। विवशता की हद देखिए कि न्याय की गुहार लगाने के लिए पीड़िता और उसकी मां द्वारा मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास भी किया गया। बावजूद इसके हर तरह से आतंकित किए गए इस परिवार ने रसूखदार विधायक के खिलाफ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। हमारी व्यवस्था की खामियों से जूझने की हिम्मत दिखाई। यकीनन यह पीड़िता और उसके परिवार का साहस ही है कि वे नाउम्मीदी और असुरक्षा के हालातों में भी न्याय पाने के लिए संघर्ष करते रहे।

इस मामले से जुड़े जितने भी पक्ष सामने आए, वे सभी हमारी व्यवस्था की खामियों और निराश करने वाली स्थितियों को उजागर करने वाले रहे। यह घटनाक्रम एक ताकतवर नेता के आगे समाज के आम परिवार की बेबसी को बयान करने वाला था। जिसमें एक बेटी का मान ही नहीं लूटा गया, बल्कि आवाज उठाने पर उसकी और उसके अपनों की जान तक लेने की साजिश रची गई। सिलसिलेवार ढंग से हुई घटनाओं ने इस परिवार को बेहद पीड़ादायी हालातों तक पहुंचा दिया।

दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि यह देश का एक अकेला मामला भी नहीं है। हमारे यहां जनता का विश्वास जीतकर प्रतिनिधि बने कई चेहरे ऐसे अपराधों के लिए कठघरे में हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीते एक दशक में सांसदों पर महिला अपराध के दर्ज मामलों में 850 फीसद की बढ़ोतरी देखी गई है। मौजूदा समय में 18 सांसद और 58 विधायक महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं।

समझना मुश्किल नहीं कि ऐसे लंबित मामलों में पीड़ित हर परिवार किन हालातों से जूझता होगा? ऐसे अधिकतर मामलों में आवाज उठाने वाले परिवारों का धन और बल के दम पर जीना दुश्वार कर दिया जाता है। ऐसे में उन्नाव केस में आया यह फैसला न्याय व्यवस्था में भरोसा बढ़ाने वाला है। समाज के हर परिवार को अपराध के खिलाफ लड़ने और डटे रहने की हिम्मत देने वाला है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

मोदी पर निर्भर भाजपा

झारखंड में खुद से हारी भाजपा शीर्षक से लिखे लेख में अवधेश कुमार ने झारखंड विधानसभा में भाजपा को मिली हार का कारण वहां के इसके स्थानीय नेताओं की गलतियों को माना है। लोकतंत्र में हर चुनाव में ऊंट किस करवट बैठ जाए यह कोई नहीं जान सकता। लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता सर्वोपरि होता है। वह हर चुनाव को अलग-अलग नजरिये से देखते हुए अपने कीमती वोट का प्रयोग करता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व का अतिविश्वास हर चुनाव में उस पर भारी पड़ सकता है। वर्ष 2019 में भाजपा के लिए मोदी का नेतृत्व लोकसभा चुनाव में तो शानदार रहा, लेकिन इस वर्ष कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव में उसे निराशा भी हाथ लगी। हरियाणा और अब झारखंड के विधानसभा चुनाव में भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बिखरता नजर आया। भाजपा के बहुत से नेता वोट तो पीएम मोदी के नाम पर मांगते हैं, लेकिन आमजन के लिए काम मोदी की नीयत से नहीं करते हैं। इसका नकारात्मक असर चुनावों में जरूर पड़ता है। भले ही भाजपा के लोग इस बात को नकार दें, लेकिन यह हकीकत है। भाजपा हाईकमान को अपने उन नेताओं के प्रति सख्ती दिखानी चाहिए जो आम लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में आनाकानी करते हैं।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

गो-एयर को लगी लताड़

जब एक व्यक्ति हवाई जहाज में यात्रा करता है तो उसे ये पता नहीं होता कि क्रू मेंबर्स या पायलट कितने दिनों से लगातार ड्यूटी कर रहा है। कहीं ये लोग थके हारे तो नहीं हैं। मजबूरी में ड्यूटी कर ये सबकी जान तो जोखिम में नहीं डाल रहे। हाल ही में नागर विमानन माहनिदेशालय (डीजीसीए) ने पायलटों और क्रू को तय समय से ज्यादा काम कराने के लिए गो-एयर को लताड़ लगाई है। एयरलाइन ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) के नियमों का उल्लंघन किया, जिसके चलते इसके क्रू को लगातार चार रातों तक उड़ान भरनी पड़ी। एफडीटीएल गाइडलाइंस बनाने का मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि ये लोग थकान का शिकार न हों और उड़ानें भी सुरक्षित रहें।

चंद्र प्रकाश शर्मा, रानी बाग, दिल्ली

अब कुछ करना होगा

कांग्रेस मुक्त भारत के स्थान पर भाजपा को भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा ही शोभा देता है, पर अफसोस कि वह ये सब तो कर नहीं पाई दुर्भाग्य से कुछ कार्यों के कारण उलटे अब उसे ही ग्रहण लग गया। उसकी लोकप्रियता भी अब निरंतर घटती जा रही है। अब हालत ऐसी है कि उसे जनवादी समस्याओं को लेकर बहुत पारदर्शी होकर चलना होगा। भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस को भी उसका घमंड ले बैठा। आज देश के सामने अनियंत्रित जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, नाजुक अर्थव्यवस्था जैसी समस्याएं हैं। अराजकता, दुष्कर्म और हत्या, लचर कानून ने पूरे शासन को ही हिलाकर रख दिया है। भाजपा को यदि अपना अस्तित्व कायम रखना है तो उसे क्रांतिकारी पार्टी के रूप में उभरना होगा। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाना होगा। एक सौ तीस करोड़ जनता पर शासन का गर्व तो सभी करते हैं, मगर उस जनता के लिए वे क्या करते हैं यह बात किसी से छुपी नहीं है। नौजवानों को रोजगार देने के बजाय सरकार उलटा रोजगार को खत्म ही कर रही है।

वेद मामूरपुर, नरेला

जनता सिखाएगी सबक

नागरिकता संशोधन कानून व एनआरसी के संबंध में विचार विमर्श एक साथ ही आमजन तक पहुंचा। नागरिकता संशोधन कानून लोकसभा व राज्यसभा से पास होकर व एनआरसी लागू किए जाने की सरकार की भावी योजना है। मोटे तौर पर पहले में प्रावधान है कि तीन देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई व बौद्ध धर्म के अल्पसंख्यक समुदाय को देश की नागरिकता दे दी जाए और दूसरे में प्रावधान है कि देश से घुसपैठिये को बाहर कर दिया जाए। लेकिन मोदी विरोध व भाजपा विरोध में कांग्रेस व अन्य पार्टियों के नेताओं ने इसे देश की जनता खासकर मुस्लिमों के समक्ष इसे इस तरह पेश किया जैसे सरकार कि मंशा मुस्लिमों को देश से बाहर निकालना है।

मनोज कुमार, सोनीपत

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्